न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 80/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट्स
1–श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व0 कुष्टा पत्नी रामसिह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल असाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 2–श्रीमती हऊवा पुत्री स्व0 कुष्टा पत्नी भंवरसिह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल कालूडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 3–श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 कुष्टा पत्नी विरधा उर्फ विरधसिह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल हडेतर तहसील सांचौर जिला जालोर		1–ग्राम पंचायत बांदरा जरिये सरपंच 2–मानाराम उर्फ मानसिह के का0मुकाम– 2.1–गिरधारीसिह पुत्र स्व0 माना उर्फ मानसिह 2.2–नेमसिह पुत्र देवीसिह पोत्र स्व0मानसिह 2.3–दिनेशकुमार पुत्र देवीसिह पोत्र मानसिह 2.4–हाकमसिह पुत्र देवीसिह पोत्र मानसिह 3– अचला उर्फ अचलसिह पुत्र जसवंता के का0मुकाम– 3.1–भंवरसिह पुत्र अचला उर्फ अचलसिह 4– जीवणा उर्फ जीवण सिह पुत्र जसवंता के का0मुकाम – 4.1–लालसिह पुत्र जीवणा उर्फ जीवणसिह 4.2–उगमसिह पुत्र जीवणा उर्फ जीवणसिह 4.3–उम्मेदसिह पुत्र जीवणा उर्फ जीवणसिह सभी जाति पुरोहित निवासी चन्दाणियो की ढाणी, पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) तहसील व जिला बाडमेर 5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2016 मे राजस्व अपील संख्या 16/2012 अनवान शांतिदेवी वगैरा बनाम ग्राम पंचायत बांदरा वगैरा मे दिनांक 26–5–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थिति बहसः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 1 से 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–5–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बांदरा तहसील बाडमेर के म्युटेशन संख्या 134 एवं 152 मे वर्णित भूमि का खातेदार कुष्टा वल्द अजीता कौम पुरोहित सा0 देह था । उक्त खातेदार कुष्टा के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि बाबत फोतेदगी म्युटेशन संख्या 134 मृतक की पत्नी वीरो तथा उसकी तीन पुत्रियां वर्तमान अपीलांट शान्ति, हऊआ एवं रेखा पुत्रियां कुष्टा के पक्ष मे स्वीकृत किया गया तथा दूसरा म्युटेशन संख्या 152 बेचान के आधार पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पूर्वज माना, अचला एवं जीवणा पि0 जसवंता कौम पुरोहित के पक्ष मे भरे गये उक्त दोनो म्युटेशनो को सरपंच ग्राम पंचायत बादरा द्वारा वर्ष 1965 मे स्वीकृत किये । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 152 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण ने प्रथम अधीनस्थ के समक्ष यह कथन करते हुए पेश की कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 389 रकबा 71.13 बीघा सम्पूर्ण भूमि को अकेली वीरो पत्नी कुष्टा ने बेचान कर दी जबकि उक्त भूमि मे अपीलांटगण

का भी बराबर का हिस्सा था तथा वीरो को केवल अपने हिस्से की केवल 1/4 हिस्से की भूमि ही बेचान करने का अधिकार था इसलिए उक्त बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया म्युटेशन संख्या 152 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाये । उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2016 केम्प बान्दरा मे ले जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–16 के द्वारा खारीज कर दी जाने पर उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक खातेदार कुष्टा के नाम चल रही खातेदारी भूमि का उसके देहांत के बाद तत्कालीन पटवारी हल्का ने विरासत का नामांतरकरण संख्या 134 उसकी बेवा वीरो एवं तीन पुत्रियां वर्तमान अपीलांट शान्ति, हऊआ एवं रेखा पुत्रियां कुष्टा के पक्ष मे स्वीकृत किया तथा अन्य म्युटेशन संख्या 152 खसरा नंबर 389 की 71.13 बीघा भूमि खातेदार वीरो द्वारा बेचान के आधार पर स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलाधीन खसरा नंबर 389 की भूमि का अकेली वीरो को बेचान करने का कोई अधिकार ही नही था क्योकि उक्त भूमि मे वीरो का केवल 1/4 हिस्सा ही होने से वह अपने हिस्से तक की भूमि का बेचान कर सकती थी परंतु उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व बेचाननामे की जांच किये बिना तथा अपीलांटगण को सुने बिना ही सरपंच ग्राम पचांयत ने म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को लोक अदालत केम्प मे लेजाकर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि लोक अदालत मे पत्रावली को रखे जाने का अपीलांटगण का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही था तथा न ही प्रकरण पक्षकारान के बीच राजीनामे या सहमति का था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित कोर्ट मे चल रहे प्रकरण को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2016 के केम्प मे रखते हुए निर्णित करने मे विधिक भूल की है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि पंजीबद्ध बेचान पत्र से अंतरित होना तथा उसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने के कारण का उल्लेख करते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तथाकथित बेचाननामा अपीलांटगण द्वारा निष्पादित किया हुआ नही है ऐसे मे अपीलांटगण के हिस्से तक की भूमि का म्युटेशन स्वीकृत किया ही नही जा सकता था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच किये बिना स्वीकृत नामांतरकरण को चेलेंज करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया विवेचन विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन केवल सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है जबकि ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सर्वसम्मति से स्वीकृत नही किया गया होने से अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यो पर गौर किये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 152 को निरस्त करने तथा विवादित भूमि का म्युटेशन मृतक कुष्टा के सभी वारिसान के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 152 एक पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया हुआ है तथा पंजीबद्ध बेचान के दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से उक्त बेचान के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने जिस विवेचन के साथ खारीज की है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 152 एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 152 के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन खसरा नंबर 389 की 71 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध मे मु0 वीरा बेवा कुष्टा द्वारा दिनांक 29–2–60 को किये गये पंजीबद्ध बेचान के आधार पर उक्त म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा दिनांक 25–3–65 को स्वीकृत किया गया था, जिसमे प्रथमदृष्टियां कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

उक्त म्युटेशन संख्या 152 के विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि वीरो बेवा कुष्टा अकेले को खसरा नंबर 389 की 71.13 बीघा भूमि के बेचान करने का अधिकार नही था इसलिए रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष मे किया गया बेचान विधिविरूद्ध होते हुए उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व बेचाननामे की जांच व अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पंजीबद्ध बेवान के दस्तावेज की वैद्यता एवं उसकी जांच करने तथा किसी प्रकार का अभिमत देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है इसलिए रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पूर्वजो के पक्ष मे किये गये पंजीबद्ध बेचान को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा दिया जाता है तब तक उक्त बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण

को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे देते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है । अपीलांटगण यदि अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानती है तो नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा करवानी होगी, म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 152 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर